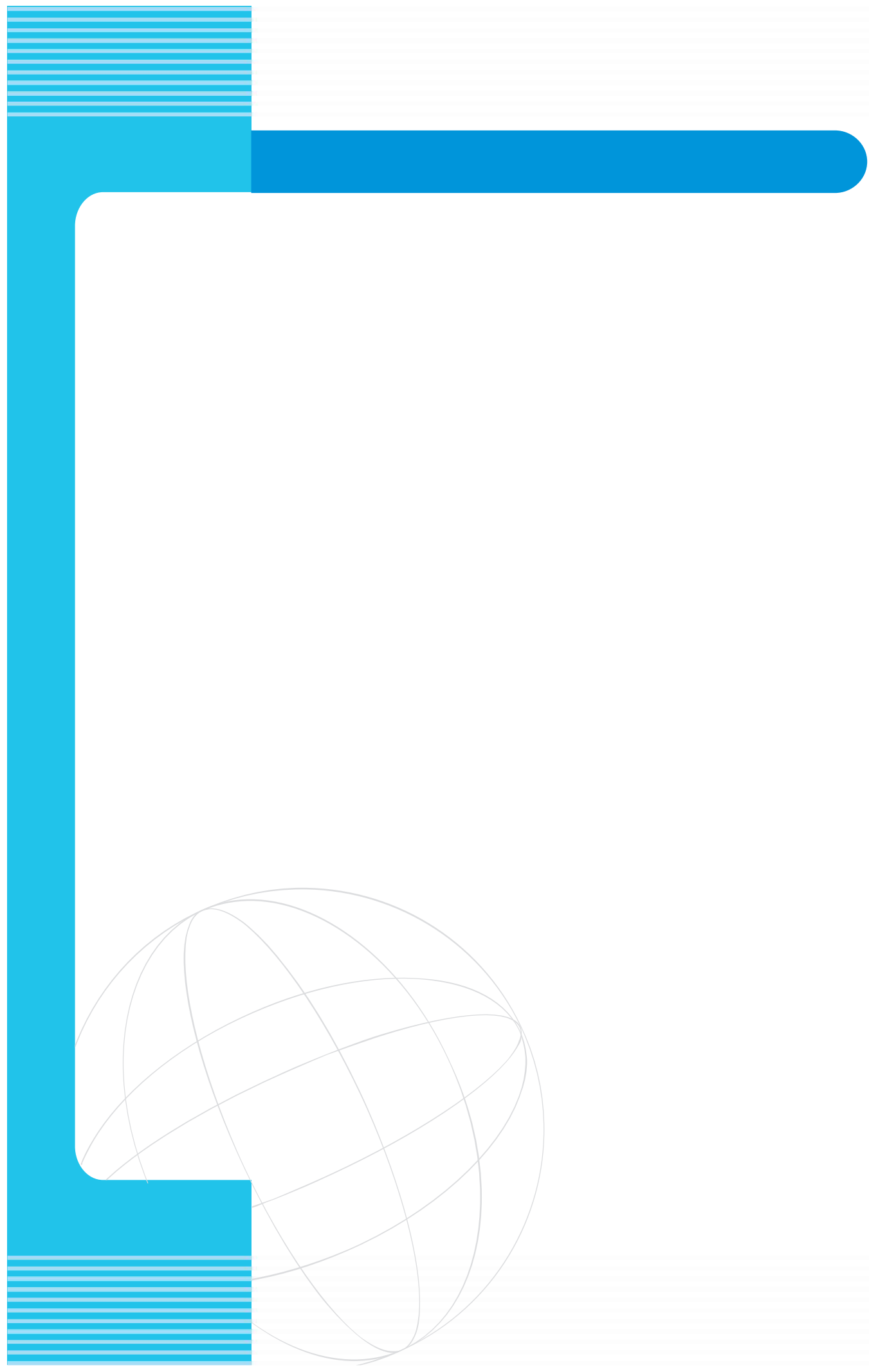




उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग



उद्योग संवर्धन नीति, 2010

एवं कार्ययोजना

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना	1
2.	उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्य	1
3.	उद्योग संवर्धन हेतु रणनीति	2
4.	उद्योग मित्र प्रशासन	3
5.	अधोसंरचना का विकास	3
6.	निर्यात संवर्धन और विदेशी पूंजी निवेश	7
7.	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास	7
8.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ करना	7
9.	क्लस्टर एप्रोच	7
10.	लॉजिस्टिक गतिविधियों का विकास	8
11.	बीमार उद्योगों का पुनर्वास	8
12.	स्वरोजगार योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन	8
13.	लघु एवं फुटकर व्यापारी प्रकोष्ठ	9
14.	प्रक्रियाओं का सरलीकरण	9
15.	विनिर्माण उद्यमों को सहायता एवं सुविधाएं	10
16.1	स्टाम्प ड्यूटी में छूट	15
16.3	उद्योग निवेश संवर्धन सहायता	15
17.	प्रवेश कर	17
18.	मण्डी शुल्क	17
19.	विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन	18
20.	अपात्र उद्योग	18
21.	प्रौद्योगिकी के क्रय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति	19

22.	औषधी एवं हर्बल उद्योगों के लिए विशेष पैकेज	19
23.	बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए विशेष पैकेज	19
24.	प्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हेतु सुविधाओं का विशेष पैकेज	19
25.	घोषित चूककर्ता/अशोध (defaulter) की अपात्रता संबंधी	19
26.	पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत आपूर्ति पर राशि की प्रतिपूर्ति	19
परिशिष्ट - एक		20-22
बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का “विशेष पैकेज, 2010”		
परिशिष्ट - दो		23-24
राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का “पॉलिसी पैकेज 2010”		
परिशिष्ट - तीन		25-34
बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना (मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाइवल स्कीम, 2010)		
परिशिष्ट - चार		35
औषधि एवं हर्बल उद्योग के लिए सहायता पैकेज		
परिशिष्ट - पाँच		36
बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए विशेष पैकेज		



**मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग**

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना

1. प्रस्तावना

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं नीतियों के फलस्वरूप देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं उभरते हुए निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश की रुचि प्रदर्शित की गई है। निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से पुनरीक्षित औद्योगिक नीति जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह नीति दिनांक 1 नवंबर, 2010 से 5 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।

इस नीति का लक्ष्य प्रदेश के संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। विश्व में आर्थिक मंदी के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से प्रदेश को औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव से दूर रखने के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया गया है।

मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं में सुधार कर समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने की दृष्टि से त्रिस्तरीय साधिकार समितियों को और प्रभावी एवं सक्रिय कर निवेश प्रस्तावों को फेसीलिटेड किया जाएगा।

प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना को उत्कृष्ट बनाने एवं लैण्ड बैंक सृजित कर निवेश परियोजनाओं हेतु सरलतापूर्वक भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

2. उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्य

- नियमों एवं प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण कर प्रदेश प्रशासन को उद्योग मित्र बनाये रखना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वरोजगारमूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- उत्कृष्ट स्तर की अधोसंरचना विकसित कर, उद्योग एवं सर्विस सेक्टर में पूंजीनिवेश को आकर्षित करना।
- प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना का समग्र विकास करना। जिन क्षेत्रों में वृहद् परियोजनाएं स्थापित होने की

संभावना है अथवा क्लस्टर का विकास होना है, वहां की अधोसंरचना का और अधिक उन्नयन किया जाना।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और वृहद उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष योजना लागू करना।
- उद्योगों में निरीक्षणों की संख्या को कम करना।
- प्रदेश में कर की दरों का युक्तियुक्तकरण करके उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना।
- स्थानीय संसाधनों एवं वर्तमान औद्योगिक आधार को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगीकरण को दिशा प्रदान करना।
- औद्योगीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में कृषि को लाभकारी बनाने हेतु कृषि उपज आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश में प्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

3. उद्योग संवर्धन हेतु रणनीति

- प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु ऐसे प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा तय रणनीति का सही मायनों में क्रियान्वयन हो सके।
- औद्योगिक अधोसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- निवेश प्रोत्साहन हेतु 'मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008' के माध्यम से 'सिंगल विण्डो प्रणाली' को प्रभावी, सक्षम एवं सुदृढ़ किया जाएगा।
- विद्यमान उद्योगों में भी नये पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इण्डस्ट्रियल क्लस्टर चिन्हित कर उनके विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये यथा-योग्य रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- कृषि एवं अन्य स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- बीमार/बंद हो चुकी इकाईयों के पुनर्वास हेतु नियमों को सरल बनाया जाएगा तथा उनके संवर्धन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा।
- उद्योगों के लिए भूमि की आगामी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 'लैंड बैंक' बनाया जायेगा, विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का यथा आवश्यक विस्तार किया जाएगा तथा नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इन सभी में बुनियादी सुविधा युक्त औद्योगिक अधोसंरचना निर्मित की जाएगी।
- स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा कर व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर किया जायेगा।
- वृहद् रोजगार सृजन करने वाली परियोजनाओं को विशेष महत्व देकर सुविधाओं का पैकेज प्रदान किया जावेगा।

4. उद्योग मित्र प्रशासन

- 4.1 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उद्योग सलाहकार परिषद के सुझावों के क्रियान्वयन में और तेजी लाई जायेगी। उद्योग सलाहकार परिषद की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जायेंगी।
- 4.2 सिंगल विण्डो क्लियरेंस के लिए साधिकार समितियों का गठन :- मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अन्तर्गत सिंगल विण्डो क्लियरेंस हेतु गठित त्रिस्तरीय साधिकार समितियों के माध्यम से निवेश प्रकरणों में समयबद्ध आवेदन निराकरण एवं अनुमतियां/क्लियरेंस प्रदाय करने की प्रभावी व्यवस्था संचालित की जाएगी।
- 4.3 एकल आवेदन (कम्बाइन्ड एप्लीकेशन फार्म) एवं स्वप्रमाणीकरण प्रणाली लागू की जाएगी।
- 4.4 परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों को समुचित अधिकार प्रदत्त करते हुये, उन्हें उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उनके परिक्षेत्र में आने वाले निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन एवं परियोजनाओं की स्थापना का सतत् अनुसरण करने का दायित्व सौंपा जाएगा, जिससे निवेश प्रस्ताव मूर्त रूप ले सके।

5. अधोसंरचना का विकास

- 5.1 औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में आने वाली वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए “इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड” की स्थापना की जाएगी। इस कोष में प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि आगामी पांच वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध राशि का उपयोग उन अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो अत्यधिक महत्व की होंगी।

5.2 दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजनांतर्गत निम्न इन्वेस्टमेंट नोड्स का विकास कर विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना एवं सहायक अधोसंरचना निर्मित की जायेगी :-

- 1) पीथमपुर-धार-महू इन्वेस्टमेंट रीजन (कम से कम 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में)
- 2) रतलाम-नागदा इन्वेस्टमेंट रीजन (कम से कम 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में)
- 3) शाजापुर-देवास इण्डस्ट्रियल एरिया (कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में)
- 4) नीमच-नयागांव इण्डस्ट्रियल एरिया (कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में)

उल्लेखित इन्वेस्टमेंट नोड्स के तहत विभिन्न अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स की स्थापना की जायेगी यथा नॉलेज सिटी उज्जैन, मल्टीमोडल लाजिस्टिक हब, इन्दौर-पीथमपुर इकानामिक कॉरिडोर, पॉवर इक्युपमेंट मेन्यूफैक्चरिंग हब।

5.3 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र परियोजनाओं के विकास कार्य को गति देकर उत्कृष्ट अधोसंरचना निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित की जाएगी।

5.4 औद्योगिक केन्द्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेल्वे जंक्शनों से उत्कृष्ट अधोसंरचना द्वारा जोड़ा जावेगा।

5.5 प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए वांछित प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू कर की दरों को युक्तिसंगत किया जायेगा।

5.6 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ औद्योगिक-सह-व्यावसायिक अधोसंरचना की उत्तम संभावना है। इन क्षेत्रों में ऐसी अधोसंरचना निजी क्षेत्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के माध्यम से निर्मित की जाएगी।

5.7 औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे विद्युत एवं जल प्रदाय इत्यादि के विनिर्माण, संचालन एवं संधारण हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5.8 औद्योगिक क्षेत्रों व औद्योगिक विकास केन्द्रों में दोहरी कर प्रणाली समाप्त कर औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों का संधारण तथा रखरखाव जनभागीदारी एवं स्वशासी समितियों द्वारा करने की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1957 में आवश्यक संशोधन किये जाने में आ रही कठिनाईयों/विलम्ब के दृष्टिगत राज्य में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लाया जायेगा।

- 5.9 औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये पृथक से स्थान चिन्हित किये जाएंगे एवं उपयुक्त अधोसंरचना निर्मित की जाएगी।
- 5.10 प्रदेश में संभावनापूर्ण क्षेत्रों का चयन कर लघु औद्योगिक क्षेत्र (Small Industrial Areas) स्थापित किये जायेंगे।
- 5.11 निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने के लिए प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 5.12 निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सहायता :- अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्क एवं हाइटेक पार्क सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। निजी क्षेत्रों द्वारा विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क के स्थापना/विकास व्यय का 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2.50 करोड़ रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी, बशर्ते कि विकसित होने वाले पार्क में न्यूनतम 25 इकाईयां स्थापित हों एवं इसमें 250 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सेवा नियोजन हो। इस प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार भूमि उपयोग परिवर्तन (Land use change) की अनुमति दी जायेगी। यह प्रतिपूर्ति औद्योगिक पार्क का विकास करने वाली संस्था को योजना स्वीकृति के 5 वर्ष की समय सीमा के अन्दर उल्लेखित शर्तों की पूर्ति होने पर दी जा सकेगी।
- 5.13 बीना रिफायनरी परियोजना को दृष्टिगत रखते हुये संभावित उद्योगों हेतु बीना के समीप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।
- 5.14 आगामी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्भावनापूर्ण जिलों/क्षेत्रों में, उपयुक्त आकार में गैर-कृषि, गैर-वन भूमि का चयन कर 'लैण्ड बैंक' बनाया जाएगा।
- 5.15 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग परिसर तक सड़क, विद्युत एवं जल अधोसंरचना विकसित करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, (उद्योग के लागत पूंजी व्यय के 15 प्रतिशत की सीमा के अंदर, अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ तक) राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यह सुविधा ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जहां आवंटन हेतु भूमि, भवन उपलब्ध है, की सीमा से 10 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थापित होने वाले उद्योगों को ही दी जायेगी। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन उपलब्ध नहीं होंगे, वहां दूरी का बंधन लागू नहीं होगा।
- 5.16 प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म एवं लघु उद्योग परियोजनाओं को, उनके द्वारा निजी भूमि क्रय कर औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन (diversion) कराने पर अधिकतम 5 एकड़ भूमि के व्यपवर्तित भू-राजस्व में 50% की छूट दी जाएगी।

- 5.17 औद्योगिक क्षेत्रों में यथासम्भव आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के पश्चात भूमि का आवंटन किया जाएगा।
- 5.18 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, झूलाघर, हाउसिंग, शॉपिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर, मनोरंजन केन्द्र, रात्रि विश्राम गृह, लेबर वेलफेयर सेंटर इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय निगमों के माध्यम से या निजी क्षेत्र की सहभागिता से ये सुविधार्य निर्मित करने के प्रयास किए जाएंगे।
- 5.19 भूमि का अधिकतम उत्पादक उपयोग करने की दृष्टि से सम्भावनापूर्ण स्थलों/औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवम् लघु उद्यमों के लिये बहुमंजिला औद्योगिक कॉम्पलेक्स, विभागीय निगमों के माध्यम से या निजी क्षेत्र की सहभागिता से बनाए जाएंगे।
- 5.20 नियोजित शहरी विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक होने पर शहरी क्षेत्र के असंगठित सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों के लिए सर्वसुविधायुक्त आधुनिक शहरी बहुउद्देशीय कॉम्पलेक्स की स्थापना, शहरों में उपयुक्त शासकीय भूमि का चयन कर, विभागीय निगमों के माध्यम से की जाएगी।
- 5.21 नवीन/विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों, जहाँ 500 एकड़ अथवा अधिक भूमि विकसित की जानी है, में औद्योगिक श्रमिकों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु कुल भूमि की अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि पृथक जोन बनाकर आरक्षित की जाएगी।
- 5.22 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक विकास केन्द्रों के आसपास झुग्गी बस्तियों के अनियोजित विकास को रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के पास आवासीय क्षेत्र विकसित करने हेतु आवश्यकता अनुसार भूमि की व्यवस्था राजस्व विभाग अथवा संबंधित नगरीय निकाय/गृह निर्माण मण्डल आदि के माध्यम से की जाएगी। ऐसी भूमियों पर समीपस्थ उद्योगों के श्रमिकों/कर्मियों के लिए आवासीय भवन निर्मित करने हेतु उद्योगों को उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। विकल्पतः उद्योगों की आवश्यकता के दृष्टिगत उपलब्ध भूमियों पर संबंधित नगरीय निकाय अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल आदि के माध्यम से उद्योगों के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवासीय भवन निर्मित कर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
- 5.23 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में गैर-खतरनाक (Non-hazardous) उद्योगों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाओं की दृष्टि से इकाई के पास उपलब्ध भूमि में से उपयुक्त भूमि पर अस्थायी (ट्रान्जिट) आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

6. निर्यात संवर्धन और विदेशी पूंजी निवेश

निर्यात संवर्धन, प्रवासी भारतीय प्रवर्तित निवेश एवं प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों के त्वरित निराकरण/ अनुमतियों/ क्लियरेंस हेतु मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

7. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास

7.1 उद्योग संचालनालय और विभिन्न विभागीय निगमों द्वारा राज्य में तथा राज्य के बाहर भी, समन्वित अभियान चलाकर उद्योगपतियों/उद्यमियों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित किया जायेगा।

7.2 म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और प्रदेश में स्थापित बड़े उद्योगों के बीच वेण्डर डेवेलपमेंट एवं लिंकेज हेतु सतत् प्रयास किये जाएंगे।

7.3 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के हित में विपणन गतिविधियों के विस्तार हेतु “क्रेता-विक्रेता सम्मेलन” व्यापार मेलों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.4 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी तथा भण्डार क्रय नियमों को संशोधित किया जाएगा।

7.5 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी के माध्यम से नियमित रूप से उद्योग और व्यापार मेलों के आयोजन तथा भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7.6 अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग व मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट्स को प्रदेश में अपनी शाखायें खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

8. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ करना

भारत सरकार की योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश में कार्यरत समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की नवीन सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण किया जायेगा, जिससे वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। साथ ही नवीन निवेश के प्रस्तावों पर तत्परता से गुणात्मक कार्यवाही कर सकें।

9. क्लस्टर एप्रोच

9.1 प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिये स्थानीय कच्चा माल, कुशल कर्मचारियों एवं बाजार की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर उद्योगों के क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के हित में भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु यथासंभव सहायता एवं रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

9.3 प्रदेश में रेडीमेड एवं मेड-अप गारमेंट्स उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु एपेरल पार्क/रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश में निर्मित वस्त्रों की फैशन/मांग के अनुरूप रंगाई व छपाई हेतु आधुनिक प्रोसेस हाउस स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा।

10. लॉजिस्टिक गतिविधियों का विकास

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा बन्दरगाह न होने की कमी को दूर करने के लिए लॉजिस्टिक हब, कंटेनर डिपो, शीत श्रृंखला (Cold chain) अधोसंरचना, कमोडिटी बैंक, ड्रायपोर्ट, एयर कार्गो काम्पलेक्स जैसी अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित कर फैसिलिटेड किया जाएगा।

11. बीमार उद्योगों का पुनर्वास

11.1 बीमार उद्योगों को चिन्हित कर, जिला स्तर पर इनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

11.2 बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनः संचालित करने पर राज्य शासन द्वारा परिशिष्ट-एक पर संलग्न “विशेष पैकेज, 2010” के अनुसार सुविधाएं/रियायतें दी जाएंगी।

11.3 राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु परिशिष्ट-दो पर संलग्न “पॉलिसी पैकेज-2010” के अनुसार सुविधाएं/रियायतें दी जाएंगी।

11.4 बीमार लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए परिशिष्ट-तीन पर संलग्न “मध्यप्रदेश स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाइवल स्कीम-2010” लागू रहेगी।

12. स्वरोजगार योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन

12.1 भारत सरकार द्वारा लागू किये गये “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” (PMEGP) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से स्वरोजगार के नये अवसर निर्मित किये जायेंगे।

12.2 प्रदेश में स्थापित एवं स्थापनाधीन वृहद् उद्योगों में लगने वाली तकनीकी, कुशल व अर्धकुशल जनशक्ति की उपलब्धता एवं इनके कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। केन्द्र एवम् राज्य शासन के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं और समितियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उद्योगों में लगने वाली जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे। साथ ही परम्परागत उद्योगों में संलग्न तकनीकी जनशक्ति के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

- 12.3 प्रदेश में क्रियान्वित “कॅरियर काउन्सिलिंग योजना” का विस्तार प्रदेश के समस्त जिलों में किया जावेगा।
- 12.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने एवं सहायता देने के लिए वर्तमान में प्रचलित “रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना” की समीक्षा कर, उसे निरन्तर रखा जायेगा।
- 12.5 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार में स्थापित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित “दीनदयाल रोजगार योजना” में यथोचित संशोधन कर, उसे निरन्तर रखा जायेगा।
- 12.6 प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों में न्यूनतम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को दिये जाने का प्रावधान, सहायता योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में उद्योगों के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंधों में किया जावेगा। भूमि स्वामियों, जिनकी भूमि उद्योगों के लिये अधिगृहित की जाती है, के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को संबंधित उद्योग में प्राथमिकता के आधार पर वैतनिक (नियमित) रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

13. लघु एवं फुटकर व्यापारी प्रकोष्ठ

लघु एवं फुटकर व्यापारियों से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल हेतु उद्योग संचालनालय में “लघु एवं फुटकर व्यापारी प्रकोष्ठ” गठित किया जायेगा।

14. प्रक्रियाओं का सरलीकरण

- 14.1 आवास एवं पर्यावरण विभाग के समन्वय से अति-प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों को जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों के अधीन प्रदत्त सम्मति की वैधता की सीमा तीन वर्ष की जायेगी।
- 14.2 आवास एवं पर्यावरण विभाग के समन्वय से, जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों से संबंधित आवेदन पत्रों को सरलीकृत किया जाएगा।
- 14.3 आवास एवं पर्यावरण विभाग के समन्वय से, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) हेतु गठित “राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी” की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा एवं परियोजनाओं को समयबद्ध अनुमोदन प्रदान किये जाएंगे।
- 14.4 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की नीति लागू की जाएगी।

- 14.5 श्रम विभाग के समन्वय से भारत सरकार द्वारा घोषित खतरनाक (Hazardous) उद्योगों को छोड़कर, अन्य उद्योगों के लिये श्रम विभाग के संबंधित नियमों में स्वप्रमाणीकरण (Self Certification) के प्रावधान किये जाएंगे।
- 14.6 श्रम विभाग के समन्वय से, श्रम नियमों से संबंधित मासिक/त्रैमासिक रिटर्न्स को समाप्त करते हुए एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया जाएगा।
- 14.7 संबंधित विभागों के समन्वय से, उद्योग के परिसर में अनेक रजिस्टर संधारित करने की व्यवस्था के स्थान पर वेज रजिस्टर एवं अटेण्डेंस रजिस्टर रखे जाने का प्रावधान किया जाएगा।
- 14.8 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के विकेन्द्रीकरण अंतर्गत इन्दौर में पूर्ण शक्तियों तथा अधिकारों से युक्त क्षेत्रीय कार्यालय प्रारम्भ किया जायेगा।

15. विनिर्माण उद्यमों को सहायता एवं सुविधाएं

- 15.1 पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों (वृहद् श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) को निम्नानुसार ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी :-

जिले की श्रेणी	सम्पूर्ण पात्रता अवधि एवम् अधिकतम सहायता राशि (राशि ₹ लाखों में)			टिप्पणियाँ
	अनुदान	अवधि	सहायता राशि की दर (%)	
पिछड़ा “अ”	10.00	5 वर्ष	3	अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन
पिछड़ा “ब”	15.00	6 वर्ष	4	श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर
पिछड़ा “स”	20.00	7 वर्ष	5	6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं
उद्योग शून्य विकासखण्ड	20.00	7 वर्ष	5	अधिकतम सहायता राशि ₹ 25.00 लाख होगी।

अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 6 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम सहायता राशि रुपये ₹ 25.00 लाख की पात्रता रहेगी।

- 15.2 पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ एवं समितियों को, सहकारी बैंकों से कार्यशील पूंजी हेतु प्राप्त ऋण पर देय ब्याज पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से सहायता निरन्तर रखी जायेगी।

15.3 केवल पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान सहायता दी जायेगी :-

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम राशि	टिप्पणियाँ
पिछड़ा “अ”	15	5.00 लाख	अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन श्रेणी के लिए अनुदान
पिछड़ा “ब”	15	10.00 लाख	20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 20.00
पिछड़ा “स”	15	15.00 लाख	लाख होगी।

अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि ₹ 20.00 लाख तक पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

नोट -

- (1) उपरोक्त कण्डिका 15.1 एवं 15.3 के प्रयोजन के लिये केवल वे निःशक्तजन पात्र होंगे जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक हो तथा निःशक्तता का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- (2) इकाई का स्वरूप भागीदारी अथवा कम्पनी होने की स्थिति में अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन, जैसी भी स्थिति हो, का संबंधित फर्म/कम्पनी में न्यूनतम 50 प्रतिशत का हिस्सा होना आवश्यक होगा।

15.4 मेगा प्रोजेक्ट्स से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से होगा, जिनमें स्थायी पूंजी निवेश (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) ₹ 25 करोड़ या अधिक प्रस्तावित हो। ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर, इस शर्त के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी कि परियोजना में प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश 3 वर्ष की अवधि में कर लिया जाएगा :-

क्रमांक	परियोजना लागत (₹ करोड़ों में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1.	25 से 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2.	50 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3.	100 से अधिक 200 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4.	200 से अधिक 500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5.	500 से अधिक	प्रकरणवार शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल

15.5 एगो बेस्ड एण्ड फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध, हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित तथा अनुपयोगी वस्तुओं/अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग कर, उत्पाद बनाने वाले उद्यमों और बायो-टेक्नोलॉजी से सम्बंधित विनिर्माण उद्यमों को, जिनमें ₹ 10 (दस) करोड़ अथवा इससे अधिक स्थाई पूंजी निवेश हुआ हो, मेगा प्रोजेक्ट मानकर निम्नलिखित अनुसार रियायती दरों पर भूमि की पात्रता होगी :-

क्रमांक	परियोजना लागत (₹ करोड़ों में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1.	10 से 25 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2.	25 से अधिक 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3.	50 से अधिक 75 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4.	75 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5.	100 से अधिक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 एकड़ तक

नोट- अनुपयोगी वस्तुओं/अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग कर उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्यमों के संदर्भ में अनुपयोगी वस्तुओं/अपशिष्ट की सूची/विवरण वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से जारी किया जायेगा।

15.6 ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी वेष्टन वाले मेगा प्रोजेक्ट अथवा विशेष महत्व की परियोजनाओं, जिनमें आधुनिक तकनीक, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन आदि निहित हो, को उनकी आवश्यकता के अनुसार तथा राज्य के संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा प्रकरणवार विशेष आर्थिक तथा अन्य पैकेज स्वीकृत किया जा सकेगा।

15.7 इन परियोजनाओं में एगो एण्ड फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध आधारित, हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों तथा बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों, जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश हुआ हो, को भी इस हेतु मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा।

15.8 **केपिटव पावर संयंत्र को विद्युत शुल्क में छूट :-** उद्योगों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे केपिटव पावर संयंत्र (हायडल/थर्मल/गैस आधारित/अन्य प्रकार के विद्युत संयंत्र), जिनमें नीति की प्रभावी अवधि के अंतर्गत विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाता है, को परियोजना में हुये निवेश अनुसार निम्नानुसार विद्युत शुल्क में छूट दी जावेगी -

क्रमांक	परियोजना लागत (₹ करोड़ों में)	विद्युत शुल्क से छूट की अवधि (वर्ष में)
1.	100 तक	5
2.	100 से 500 तक	7
3.	500 से अधिक	10

यह छूट केवल स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादित विद्युत पर प्राप्त होगी। इस प्रकार स्थापित होने वाले केपिटव पावर संयंत्र उद्योग की आवश्यकता की सीमा तक परियोजना का हिस्सा होंगे एवं इन पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश गणना हेतु परियोजना के पूंजी निवेश में सम्मिलित किया जायेगा।

- 15.9 एक ही स्थान पर स्थापित ऐसे उद्यमों, जिनमें नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एक हजार से अधिक होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु “मेगा प्रोजेक्ट” माना जावेगा। ऐसे उद्यम में न्यूनतम पूंजी वेष्टन का कोई बन्धन नहीं रहेगा। ऐसे उद्यमों के प्रस्तावों पर शीर्ष समिति द्वारा विचार कर सुविधाओं का पैकेज स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे उद्यमों को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत की दर पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर, इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि परियोजना में निर्धारित नियमित रोजगार 3 वर्ष की अवधि में सृजित कर लिया जावेगा -

क्रमांक	परियोजना में नियमित रोजगार	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1.	1000 से 1500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
2.	1500 से अधिक 2000 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
3.	2000 से अधिक 2500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 एकड़ तक
4.	2500 से अधिक	प्रकरणवार शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल

- 15.10 विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, परियोजना लागत का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के लिए 1 प्रतिशत तथा केवल वृहद् श्रेणी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 3.00 लाख होगी।

- 15.11 विनिर्माण उद्यमों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आई.एस.ओ. 9000 अथवा अन्य समकक्ष गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 1.00 लाख, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की

जायेगी। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लागू ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इकाईयों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- 15.12 विनिर्माण उद्यमों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹ 2.00 लाख की सीमा तक की जायेगी। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लागू ऐसी अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इकाईयों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 15.13 विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के अन्तर्गत लागू ट्रिप्स (Trade Related Intellectual Property Rights) का प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे उनका उपयोग रोजगार व व्यापार के नये अवसर प्राप्त करने में हो सके।
- 15.14 **ग्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता :-** ₹ 50.00 लाख से अधिक स्थायी पूंजी वेष्टन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नालाजी, आटोमोबाइल, फार्मास्युटीकल, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण पर आधारित जिन उद्योगों को ग्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस सेक्टर के अंतर्गत स्थापित होने वाले लघु श्रेणी के उद्योगों को विशेष अनुदान के रूप में पिछड़ा “अ” जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10.00 लाख, पिछड़ा “ब” जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख तथा पिछड़ा “स” जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन के लिये औद्योगिक अपशिष्टों की सूची वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
- 15.15 प्रदेश में कृषि पर आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाओं/रियायतों का पैकेज लागू रखा जायेगा।
- 15.16 कृषि उद्योगों से आशय ऐसी इकाईयों से है जो कृषि उत्पाद/अंतरवर्ती उत्पाद/अपशिष्ट (खाद्य एवं अखाद्य दोनों) में मूल्य संवर्धन करते हुए प्रसंस्करण के द्वारा ऐसे उत्पाद बनाती है, जो विक्रय योग्य/उपयोगी/खाने योग्य हो अथवा भण्डारणशीलता में उन्नयन करती हो या खेती को बाजार से जोड़ती हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य शासन की खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2008 में दी गई परिभाषा अनुसार होंगे।
- 15.17 शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक शहर में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक शहर में स्थापित होने वाले शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विशेष पैकेज पृथक्शः घोषित किया जायेगा।

घोषित किये जाने वाले विशेष पैकेज का लाभ लेने के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित इकाई द्वारा संयंत्र की स्थापना के पूर्व उस शहर के स्थानीय निकाय एवं उद्योग विभाग के साथ त्रि-पक्षीय अनुबंध किया जावे।

16.1 स्टाम्प ड्यूटी में छूट

- 16.1.1 औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों की भूमि एवं शेड के पट्टामिलेख पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रब्याजि की दर पर लिया जाएगा। उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में केवल हस्तांतरण शुल्क के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क लिया जाएगा।
- 16.1.2 वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा अधिग्रहित बंद औद्योगिक इकाईयों एवं बीआईएफआर अथवा परिसमापक को संदर्भित बीमार/बंद इकाईयों के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतः माफ किया जाएगा।
- 16.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित रुग्ण तथा बंद उद्योगों के हस्तांतरण/विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतः माफ किया जाएगा।
- 16.1.4 यदि किसी औद्योगिक इकाई का वर्तमान प्रबंधन, विगत पांच वर्षों में से तीन वर्षों में उक्त इकाई की स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक पर संचालन करने में सक्षम नहीं रहा है एवं बेहतर क्षमता उपयोग हेतु “On going concern” के रूप में अन्य उद्यमी को विक्रय कर देता है अथवा किसी अन्य कम्पनी द्वारा उक्त इकाई का संविलियन (Merger) या एकीकरण (Amalgamate) कर लिया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्जस ₹ 10 लाख से अधिक नहीं होगा।
- 16.2 औद्योगिक परियोजनाओं को लीज पर दी जाने वाली भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की दरों का युक्तियुक्तकरण करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

16.3 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता

- ₹ 1.00 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को उनके द्वारा जमा किए गए प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (जिसमें कच्चे माल के क्रय पर चुकाया गया वेट सम्मिलित नहीं है) पर इन्पुट टैक्स रिवेट के समायोजन के पश्चात् जमा कर पर उद्योग निवेश संवर्धन सहायता जिले की श्रेणी, न्यूनतम पात्र स्थायी पूंजी वेष्ठन के आधार पर निम्नानुसार सीमा तक एवं अवधि के लिये दी जाएगी -

क्र. जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थायी पूंजी वेष्ठन	निवेश संवर्धन सहायता का प्रतिशत	अवधि
01. अग्रणी जिला	₹ 25 करोड़ से कम	50	03 वर्ष
	₹ 25 करोड़ या उससे अधिक	75	03 वर्ष
02. पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ'	₹ 20 करोड़ से कम	50	05 वर्ष
	₹ 20 करोड़ या उससे अधिक	75	05 वर्ष
03. पिछड़ा जिला श्रेणी 'ब'	₹ 15 करोड़ से कम	50	05 वर्ष
	₹ 15 करोड़ या उससे अधिक	75	07 वर्ष
04. पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	₹ 10 करोड़ से कम	50	05 वर्ष
	₹ 10 करोड़ या उससे अधिक	75	10 वर्ष

उक्त सहायता राशि आगामी वर्ष के टैक्स में समायोजित की जा सकेगी। इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जाएगा। सहायता राशि स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

- 16.4 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिये उपरोक्त सहायता केवल “आईटी पार्क” में ही उपलब्ध कराई जाएगी अन्यत्र नहीं।
- 16.5 पात्र उद्योगों को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के साथ-साथ लागत पूंजी अनुदान योजना तथा ब्याज अनुदान योजना की सुविधा भी प्राप्त होगी।
- 16.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनांतर्गत सुविधा का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके कुल रोजगार का 50 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने की शर्त आवश्यक होगी, इसके लिए योजनांतर्गत अनुबन्ध में उक्त शर्त सम्मिलित होगी।
- 16.7 मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2004 के अंतर्गत पात्र लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया जायेगा।
- 16.8 ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तथा नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की संख्या (उद्योग के प्रबंधन श्रेणी को छोड़कर) न्यूनतम 90 प्रतिशत रहती है, को मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत कण्डिका 16.3 में दर्शाई गई पात्रता के अतिरिक्त, और 2 वर्ष की अवधि के लिये लाभ दिया जायेगा।

17. प्रवेश कर

- 17.1 पात्र विनिर्माण उद्यमों को प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण के पेरिशेबल रॉ-मटेरियल आधारित उद्योग एवं ऐसे विनिर्माण उद्यमों को, जिनमें स्थायी पूंजी निवेश रुपये 100 करोड़ से अधिक हो अथवा ऐसे अन्य विनिर्माण उद्यमों को, जिनमें स्थायी पूंजी निवेश रुपये 500 करोड़ से अधिक हो, 7 वर्ष तक प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा की पात्रता होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों के प्रकरणों का जिला स्तरीय समिति द्वारा एवं वृहद् उद्योगों को प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा संबंधी प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- 17.1.1 ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिया जाता है तथा नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक (उद्योग के प्रबंधन श्रेणी को छोड़कर) रहती है, को उक्त कण्डिका 17.1 में दर्शाई गई अवधि के अतिरिक्त और 2 वर्ष के लिए प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा दी जायेगी।
- 17.2 प्रवेश कर के प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केन्द्र को एक ही स्थानीय क्षेत्र (Local Area) मान्य कर इसके क्षेत्रान्तर्गत एक इकाई से दूसरी इकाई द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश कर की देयता समाप्त करने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।
- 17.3 यदि कोई उद्योग अर्द्धनिर्मित उत्पाद को किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई में इंटरमीजियेट प्रोसेसिंग/फिनिशिंग के लिये अस्थायी रूप से भेजता है तथा वह माल उक्त प्रक्रिया के पश्चात् सम्बन्धित औद्योगिक इकाई में वापस प्राप्त होकर विक्रय योग्य उत्पाद निर्मित होता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं के स्थानांतरण में प्रवेश कर की देयता नहीं होने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।
- 17.4 ऐसे उद्योगों, जो भौतिक रूप से एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में स्थापित अथवा विस्तारित हैं, को प्रवेश कर के प्रयोजन हेतु एक ही स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होना मान्य करने के संबंध में प्रवेश कर अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।
- 17.5 प्रवेश कर की दरों का अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों में प्रचलित दरों के अनुरूप करने के उद्देश्य से यथा आवश्यक युक्तियुक्तकरण किया जायेगा।

18. मण्डी शुल्क

- 18.1 खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (गेहूँ पर आधारित उद्योगों को छोड़कर) द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चे माल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश में मण्डी

शुल्क नहीं लगाया जाएगा तथा फूड पार्क में स्थापित उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में क्रय किये जाने वाले कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।

केवल ऐसी सोयाबीन प्रसंस्करण इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी जिनके कुल उत्पादन में सोयाबीन तेल (जिसमें रिफाइंड तेल भी सम्मिलित है) व डी-आईल्ड केक के अतिरिक्त अन्य मूल्य संबंधित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) पच्चीस अथवा उससे अधिक हो।

- 18.2 ₹ 10 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश से स्थापित मॉडर्न राइस मिलों द्वारा बासमती राइस के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रदेश के अंदर अथवा बाहर से क्रय की जाने वाली धान पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी।

19. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन

- 19.1 पूर्व स्थापित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों द्वारा क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अथवा ₹ 50.00 करोड़, जो भी कम हो, का स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से संबंधित पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान सहायता/सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रकार स्थापित लघु उद्योग इकाईयों द्वारा पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश (जो ₹ 25.00 लाख से कम नहीं हो) किए जाने पर उन्हें नई इकाईयों के समान सहायता/सुविधाएं प्राप्त होंगी।
- 19.2 सूक्ष्म एवं लघु फार्मास्यूटीकल विनिर्माण उद्यम द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के अन्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी में अतिरिक्त राशि ₹ 10.00 लाख या पूर्व पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निवेश करने पर नए उद्योग की पात्रता अनुसार निवेश पर सहायता की पात्रता होगी।
- 19.3 इकाईयों द्वारा अपनी विस्तार पूर्व पंजीकृत स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर ही उक्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने पर इकाईयों को विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 19.4 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन में किये गये निवेश की गणना के लिये लघु उद्यमों के प्रकरणों में उत्पादन दिनांक से लगातार पिछले 2 एवं अगले 1 वर्ष, मध्यम उद्यम के प्रकरणों में उत्पादन दिनांक से लगातार पिछले 3 एवं अगले 2 वर्ष तथा वृहद् उद्यमों के प्रकरणों में उत्पादन दिनांक से लगातार पिछले 3 एवं अगले 3 वर्षों में किए गए स्थाई पूंजी वेष्टन को सम्मिलित किया जायेगा।

20. अपात्र उद्योग

इस नीति के अन्तर्गत उद्यमों/उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्यमों/उद्योगों को उपलब्ध नहीं होंगी जैसे-

स्लॉटर-हाउस एवं मांस पर आधारित उद्योग, सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटरखा विनिर्माण, फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण, मदिरा, तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधारित विनिर्माण, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा अथवा उनके उपक्रमों अथवा संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित इकाईयां इत्यादि। आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपात्र उद्यमों/उद्योगों की सूची संशोधित की जा सकेगी।

21. एन.आर.डी.सी (National Research and Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी के क्रय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 2 लाख की प्रतिपूर्ति, सहायता के रूप में देय होगी।
22. प्रदेश में औषधी एवं हर्बल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित विशेष पैकेज (परिशिष्ट-चार) की समीक्षा कर, उसे निरन्तर रखा जायेगा।
23. प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित विशेष पैकेज (परिशिष्ट-पांच) को निरन्तर रखा जायेगा।
24. प्रदेश में प्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु न्यूनतम ₹ 25.00 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश वाले ऐसे विनिर्माण उद्यम, जिसमें प्रवासी भारतीयों की अंश पूंजी/प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, को सुविधाओं का विशेष पैकेज स्वीकृत किया जायेगा। पैकेज अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं स्वीकृत की जा सकेंगी :-
 - **प्रवेश कर मुक्ति** – निर्धारित छूट अवधि से 1 वर्ष अतिरिक्त छूट की सुविधा होगी।
 - **उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना** – निर्धारित सामान्य अवधि से 2 वर्ष की अतिरिक्त सुविधा होगी।
25. ऐसे उद्योग जो राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम के घोषित चूककर्ता/अशोधी (defaulter) हैं, इस नीति के अधीन घोषित सुविधाओं/रियायतों के पात्र नहीं होंगे।
26. पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत नियामक आयोग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित रियायती दर से विद्युत आपूर्ति होने पर सामान्य दर एवं रियायती दर के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति जारी रखी जायेगी।

1. बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का “विशेष पैकेज-2010”

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आय.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने, बीआईएफआर द्वारा परिसमापन मत के उपरान्त लिक्विडेशन में लंबित उद्योगों को ऑफिशियल लिक्विडेटर से क्रय कर, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज़ इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था से क्रय कर तथा राज्य शासन के निगमों एमपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित वृहद्/मध्यम उद्योग इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित कर पुनर्वासित करने पर ‘विशेष पैकेज’ के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :-

1.1 गैर वित्तीय

- 1.1.1 प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने में शासन का श्रम विभाग हर संभव मदद करेगा, जिससे उद्योग का संचालन सुचारु रूप से चले।
- 1.1.2 शासन के विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत उद्योग विभाग द्वारा यथोचित सहायता दी जावेगी।
- 1.1.3 आवश्यकतानुसार पुनर्वासित इकाई को सहायता उपक्रम घोषित किया जा सकेगा।

1.2 वित्तीय

- 1.2.1 अधिग्रहण/क्रय की जाने वाली इकाई को पूर्व में स्वीकृत, वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर की छूट/आस्थगन की सुविधा एवं उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृत सुविधा की अवधि यदि शेष हो तो, अधिग्रहण दिनांक से ऐसी शेष अवधि के लिये उक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- 1.2.2 यदि अधिग्रहित/क्रय पूर्व इकाई पर वाणिज्यिक कर (विक्रय कर एवं क्रय कर), प्रवेश कर, वैट का देय बकाया हो तो अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में वास्तविक वाणिज्यिक कर/वैट/प्रवेश कर अर्थात् असेस्ड टैक्स राशि, एक मुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किया जायेगा अन्यथा बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से 6 अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की

सुविधा दी जायेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

बकाया वाणिज्यिक कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जमा करने तथा पब्लिक लि. कम्पनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मैनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किये जाने की सुविधा का लाभ, संबंधित इकाई को एक ही बार प्राप्त होगा।

- 1.2.3** यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक (न्यूनतम ₹ 10 करोड़) होता है तो उसे नवीन इकाई मान्य कर, पात्रतानुसार नवीन इकाई को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

स्पष्टीकरण :

- (अ) स्थायी पूंजी निवेश की गणना पुनर्वासित इकाई की पुरानी स्थायी आस्तियों का वह हासित मूल्य (**Depreciated Value**) लिया जाएगा, जो इकाई को बीआईएफआर द्वारा बीमार घोषित किये जाने के दिनांक को था।
- (ब) इकाई अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्वासित करने पर उसमें निहित स्थायी पूंजी निवेश की गणना के लिये क्रय मूल्य को मान्य किया जाएगा।

- 1.2.4** बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

- 1.2.5** अधिग्रहण/क्रय दिनांक तक इकाई पर स्थानीय निकायों के बकाया, जैसे जल कर, चुंगी कर, सम्पत्ति कर इत्यादि के वास्तविक देयक का यदि एक मुश्त भुगतान अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में कर दिया जाता है, तो उस पर लगाई गई सम्पूर्ण ब्याज/शास्ति की राशि माफ कर दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण/क्रय दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.6 अधिग्रहित/क्रय इकाई औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्र में स्थित हो तो अधिग्रहणकर्ता द्वारा इकाई पर लंबित भू-भाटक, संधारण प्रभार तथा जल प्रदाय शुल्क की वास्तविक देयक का एक मुश्त भुगतान तीन माह की अवधि में करने पर ब्याज/शास्ति से पूर्णतः मुक्ति दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि ब्याज/शास्ति सहित को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

1.2.7 अधिग्रहण/क्रय करने से भूमि/भवन एवं अन्य आस्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः छूट दी जावेगी।

1.2.8 अधिग्रहणकर्ता द्वारा नवीन अंशपूंजी के रूप में ₹ 10 करोड़ से अधिक का वेष्टन किया जाता है तो इकाई को ₹ 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले मेगा प्रोजेक्ट का स्टेट्स प्रदान किया जावेगा एवं अधिग्रहणकर्ता परियोजना के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

1.2.9 इस विशेष पैकेज के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उन्हीं प्रकरणों में देने पर विचार किया जाएगा, जिनमें उद्योग का अधिग्रहण/क्रय पूर्ण इकाई के रूप में किया गया हो।

उक्त सुविधाओं को मात्र किसी इकाई का अधिग्रहण या क्रय करने पर स्वयं लागू नहीं माना जाएगा। इन सुविधाओं में से सुविधा विशेष या सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पॉलिसी पैकेज, 2010 के अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, प्रकरण विशेष में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगी।

2. राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का “पॉलिसी पैकेज-2010”

प्रदेश स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के बीमार उद्योग, जिनके संबंध में प्रकरण बी.आई.एफ.आर. के समक्ष बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचलित हो एवं बी.आई.एफ.आर. द्वारा इन उद्योगों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जा रही हो अथवा पुनर्वास योजना तैयार की जा चुकी हो, को पॉलिसी पैकेज, 2010 के अंतर्गत सुविधायें दी जा सकेंगी :-

- 2.1 बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- 2.2 इकाईयों को उनके पास उपलब्ध अतिशेष भूमि बेचने/सब लीज पर देने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी, बशर्ते कि वह भूमि औद्योगिक क्षेत्र/ विकास केन्द्र में स्थित न हो। भूमि उपयोग के आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की भी अनुमति दी जा सकेगी। इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि भूमि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि केवल पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए ही उपयोग में लाई जा सकेगी।
- 2.3 योजना स्वीकृति के दिनांक या ‘कट आफ डेट’ तक बकाया वाणिज्यिक करों/प्रवेश कर/वैट का शासन द्वारा सूचित निर्णय से तीन माह की अवधि में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो वास्तविक कर अर्थात् Assesed Tax राशि जमा करने की सुविधा दी जाकर ब्याज/शास्ति पूर्णतः माफ किया जाएगा।
- 2.4 योजना की स्वीकृति के दिनांक या योजना में उल्लेखित ‘कट आफ डेट’ तक बकाया वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को योजना स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है, तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

बकाया वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक्स के रूप में जमा करने तथा पब्लिक लि. कंपनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक्स कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मैनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

2.5 यदि इकाई द्वारा बकाया वाणिज्यिक कर का एक मुश्त भुगतान (उपरोक्त क्रमांक 2.3 के अनुसार) किया जाता है तो योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट ऑफ डेट' से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी।

2.6 इकाई पर राज्य शासन के किसी विभाग/संस्था की यदि कोई बकाया राशि हो तो उसकी वसूली के लिए बैंक गारंटी हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा।

2.7 इकाई को आवश्यकतानुसार पुनर्वास अवधि के लिए 'सहायता उपक्रम' घोषित किया जा सकेगा।

इस पैकेज में दर्शाई गई सुविधायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर लिये जाने वाले निर्णय, जो कि 'पॉलिसी पैकेज, 2010' में उल्लेखित सुविधाओं की सीमा तक ही होगा, के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेगी।

पॉलिसी पैकेज 2010 के अतिरिक्त उद्योग के पुनर्वास के लिए किसी विशेष सहायता/सुविधा की अपेक्षा यदि राज्य शासन से की जाती है तो उस सुविधा विशेष पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि यह सुविधा दी जाना योग्य पाई जाएगी तो समिति अपनी अनुशंसा संबंधित फोरम/समिति या मंत्रिपरिषद् के निर्णय के लिए अग्रणी कर सकेगी।

3. बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना (मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाइवल स्कीम, 2010)

- 3.1** औद्योगिक रुग्णता के कारण बेरोजगारी, राज्य व केन्द्र सरकार की राजस्व हानि, संस्थागत वित्त में अवरोध एवं अनुत्पादक संपत्ति वृद्धि आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लघु उद्योगों में रुग्णता के मुख्य कारण अप्रचलित तकनीक, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कुप्रबंधन, पूंजी का व्यपवर्तन, उद्यमिता/व्यवसायिकता की कमी, विपणन समस्या आदि चिन्हित किये जा सकते हैं। औद्योगिक रुग्णता, विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए रुग्णता की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ठोस कदम उठाये जाना राज्य शासन व अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए वांछनीय होते हैं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत शासन द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर-पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु 'सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1985' के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. नामक वैधानिक संस्था स्थापित की गई है, परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं नॉन-बी.आई.एफ.आर. पुनर्वास योग्य बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं प्रतिपादित की गयी हैं। प्रदेश में पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं गैर-बी.आई.एफ.आर. इकाईयों के पुनर्वास के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश लघु श्रेणी उद्योग पुनर्जीवन योजना (MPSSIRS) नामक संशोधित योजना निम्नानुसार लागू की जाती है।

- 3.2 शीर्षक (Title)** - यह योजना मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाइवल स्कीम (MPSSIRS), 2010 कहलायेगी।
- 3.3 कार्यरत अवधि (Operation period)** - यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।
- 3.4 प्रयोज्यता (Applicability)** - यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल सूक्ष्म, लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र), जिनके संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन ₹ 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। विभाग की अनुदान योजनाओं एवं कर मुक्ति की सुविधा के लिये अपात्र औद्योगिक इकाईयाँ तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यम उक्त योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

3.5 परिभाषाएं (Definitions)

3.5.1 बीमार इकाई (Sick Unit) : कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई 'बीमार' समझी जावेगी यदि वित्तीय वर्ष 2008-09 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :-

(अ) इकाई का कोई भी उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए निम्न स्तर पर बना रहे अर्थात् किसी भी उधारी लेखा के परिप्रेक्ष्य में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओवरड्यू बना रहे। यदि लेखा की वर्तमान स्थिति के निम्न स्तर पर होने की स्थिति में ड्यूकोर्स में कमी भी होती है, तो भी ओवरड्यू अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी।

या

इकाई के नेटवर्थ में क्षरण हुआ हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(ब) बंद इकाई के मामले में इकाई बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादनरत् रही हो, तथा ऐसी इकाई न्यूनतम लगातार 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो या वणिज्यिक कर का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या अधिकार प्रदत्त समिति जिस कारण को उचित समझे।

(स) लेखों का आशय उन अंकेक्षित लेखों से लिया जाएगा, जिसके संबंध में इकाई द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को सूचित किया गया हो अथवा लेखा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित हो।

3.5.2 नेटवर्थ (NetWorth)

लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय, पेडअप पूंजी तथा फ्री-रिजर्व के योग से है। भागीदारी/स्वामित्व वाली इकाई के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय भागीदारों/स्वामी की कुल पूंजी एवं फ्री-रिजर्व के योग से होगा।

3.5.3 फ्री-रिजर्व्स (Free Reserves)

फ्री-रिजर्व से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों के अंतर्गत, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा कम किये गये घसारा से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

3.5.4 बैंक (Bank)

बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वितीय शेड्यूल अनुसार शेड्यूल्ड बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से है।

3.5.5 वित्तीय संस्था (Financial Institution)

वित्तीय संस्था से आशय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इन्वेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम या अन्य संस्था से है जो औद्योगिक इकाईयों को स्थायी पूंजी हेतु ऋण देने के लिए अधिकृत हैं।

3.5.6 व्यवहार्य बीमार इकाई (Viable sick unit)

व्यवहार्य बीमार इकाई का आशय, उत्पादन क्षेत्र की ऐसी इकाई से है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी में ₹ 5.00 लाख से अधिक पूंजी वेष्टन हो एवं जो पुनर्वास पैकेज (जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी), योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पुनर्संरचित (Restructured) ऋण एवं ब्याज का पूर्णरूप से भुगतान करने के साथ-साथ राज्य शासन/केन्द्र शासन एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी आदि को देय देनदारी का भी भुगतान, पैकेज की क्रियान्वयन अवधि के भीतर कर सकें।

3.5.7 भुगतान हेतु बकाया राशि (Dues payable)

भुगतान हेतु बकाया वह राशि जो समस्त वैधानिक संस्थाएं जैसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलेक्टर, कस्टम्स व सेन्ट्रल एक्साईज, आयुक्त, आयकर, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी या अन्य संस्थाएं जिसे इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

3.5.8 अप्रैजल एजेंसी (Appraisal Agency)

ऐसी संस्था, जो इकाई, वित्तीय संस्था/बैंक तथा पुनःस्थापन समिति की सहमति पश्चात् बीमार इकाई की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु निर्धारित की जावे। यह संस्था कंडिका 3.8.2 में उल्लेखित अनुसार होगी।

3.5.9 राज्य सरकार (State Government)

इससे आशय मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

3.5.10 विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell)

इससे आशय उद्योग आयुक्त द्वारा योजना के संचालन के उद्देश्य से बनाये गये प्रकोष्ठ विशेष से हैं।

3.5.11 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी

इससे आशय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों से है।

3.5.12 पात्र आस्तियाँ (Eligible Assets)

इससे आशय उन आस्तियों से है, जो पुनर्वास पैकेज के स्वीकृत होने से दो वर्ष के अन्दर निर्मित हो तथा यह एम.पी. एस.एस.आई.आर.एस. द्वारा बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी वैष्टन की सीमा तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आस्तियाँ, जो उक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त/निर्मित की गई हो और/या भुगतान किया गया हो, विचारणीय नहीं होगी।

3.5.13 पात्र स्थायी पूंजी निवेश (Eligible Fixed Capital Investment)

इससे आशय निम्न परिभाषा के अनुसार भूमि, नवीन भवन, अन्य स्थायी निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश तथा टेक्नीकल नो-हाउ फीस से होगा -

अ. भूमि (Land)

इससे आशय औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यकता अनुरूप भूमि हेतु, पुनर्वास योजना की अवधि में एवं पुनर्वास योजना के भाग के रूप में, विस्तार व आधुनिकीकरण को सम्मिलित कर किन्तु भूमि के विकास पर हुए व्यय को छोड़कर, भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि से है।

ब. नवीन भवन (New Building)

इससे आशय शेष विस्तार व नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त संयंत्र व मशीनरी के व्यवस्थापन के लिए निर्मित अतिरिक्त भवन से है, जो पुनर्वास योजना की अवधि में एवं उसके एक भाग के रूप में निर्मित होगी।

स. अन्य स्थायी निर्माण (Other Permanent Construction)

इससे आशय अन्य निर्माण कार्य जो संयंत्र व मशीनरी की स्थापना हेतु या अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आवश्यक है, से है।

द. प्लांट एवं मशीनरी (Plant & Machinery)

इससे आशय नवीन संयंत्र व मशीनरी तथा आयातित पुरानी मशीनरी एवं संयंत्र व मशीनरी के पूंजीगत स्थापना व्यय तथा निर्माणाधीन अवधि के समय पूंजीगत ब्याज, जो कुल स्थायी पूंजी वैष्टन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, के योग से है।

इ. टेक्नीकल नो-हाउ फी (Technical Know-how fee)

इकाई के लिए तकनीकी ज्ञान हेतु दिया गया शुल्क या विदेशी प्रदायकर्ता को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित नीति अनुसार अनुमोदित एक मुश्त शुल्क या राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया शुल्क।

3.6 राहतें (Reliefs)

जिन सूक्ष्म/लघु उद्योग, गैर-बी.आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हों, उन्हें तदनुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

3.6.1 वित्तीय सहायता (Fiscal Reliefs)

योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी।

3.6.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department)

इकाई को वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। इकाई स्वामी चाहे तो बकाया कर राशि (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के एक मुश्त भी जमा कर सकेगा।

3.6.1.2 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी

योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी से संबंधित निम्नानुसार राहतें प्रदान की जाएंगी :-

- अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार अधिकतम रु. एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा, किंतु ऐसे प्रकरणों में, जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी।
- ब. ऐसे प्रकरणों, जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो, में पुनर्संयोजन के लिये नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।
- स. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।
- द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया राशि पर देय ब्याज अधिकतम रुपये एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज अधिकतम ₹ 25 हजार की सीमा तक माफ किया जाएगा।
- ई. इकाई पर मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा लगाये गये पैनल चार्ज को अधिकतम ₹ 25 हजार की सीमा तक माफ किया जा सकेगा।

उक्त के साथ ही बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

3.6.1.3 वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (Commerce, Industry and Employment Department) -

- अ. ऐसी लघु उद्योग इकाई, जिसकी पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई हो, यदि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्म लोन चाहती है तो उसे इस पर मध्यप्रदेश शासन के विद्यमान नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।
- ब. व्यवहार्य बन्द इकाई को पुनर्वास दिनांक से नवीन इकाई की तरह सुविधायें दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त

पूँजी विनियोजन किया जाता है तो उस पर पात्रतानुसार उद्योग निवेश अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

3.6.1.4 पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं का जारी रहना (Continuation of Incentives sanctioned earlier)

यह योजना उस बीमार इकाई के लिए भी लागू होगी जिसके प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो। पूर्व इकाई को स्वीकृत सुविधाएं शेष पात्रता अवधि हेतु पुनर्जीवित इकाई को भी प्राप्त हो सकेंगी।

3.6.1.5 अतिरिक्त राहत (Additional Relief)

उपरोक्त वित्तीय रियायतों के अतिरिक्त, इस योजना में संबंधित प्राधिकारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें देने की अनुशंसा की जा सकती है:-

- अ. पुनर्जीवन योजना लागू करने के फलस्वरूप पंजीकृत किये जाने वाले विभिन्न अनुबंधों पर 'स्टाम्प ड्यूटी' से मुक्ति।
- ब. यह योजना सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित की जावेगी।

3.7 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee)

मध्यप्रदेश शासन इस योजना के अंतर्गत पुनर्जीवन पैकेज स्वीकृत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक अधिकार प्रदत्त समिति का गठन करता है -

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
4. म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि जो संभागीय यंत्री स्तर से कम न हो	सदस्य
5. अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक (L.D.M.)	सदस्य
6. संबंधित बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
7. सिडबी के प्रतिनिधि (प्रकरण के सिडबी से संबंधित होने पर)	सदस्य
8. मध्यप्रदेश वित्त निगम के प्रतिनिधि (प्रकरण के वित्त निगम से संबंधित होने पर)	सदस्य
9. अप्राइजल एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य
10. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक स्तर से कम न हो	सदस्य
11. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। कोरम की पूर्ति के लिए उपस्थित सदस्य संख्या के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपस्थित होना आवश्यक होगा। यह समिति अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। समिति आवेदन प्राप्त होने से 90 दिवस में निर्णय लेगी। संबंधित आवेदक को निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाएगा।

समिति के सदस्य-सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वे, निश्चित समयावधि में बैठक आयोजित कर निर्णय करावें। यदि निर्णय निश्चित अवधि में न हो सके, तो उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को इस बाबत बैठक की तिथि के 15 दिवस में, स्पष्टीकरण दिया जाए।

3.8 प्रक्रिया (Procedure)

3.8.1 (अ) प्रारंभिक परीक्षण, प्रकरण की पात्रता

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक विवेचना की जाएगी एवं समिति के समक्ष रखे जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण को पंजीबद्ध कर पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 कार्य दिवस में पूरी की जावेगी। आवेदन पत्र का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

(ब) सदस्यों के मध्य परिचालन

आवेदन के पंजीकरण के उपरांत समिति के सभी सदस्यों को पूर्ण आवेदन की प्रतियां उनके विभाग के अभिमत हेतु परिभ्रमित की जावेगी। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के अभिमत के साथ समिति की बैठक में उपस्थित होना होगा। सदस्यों को उनके विभाग के मत हेतु 15 दिवस में कार्यवाही करनी होगी। संबंधित सदस्यों के विचार एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर, प्रकरण के पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

3.8.2 अप्रैजल हेतु अधिकृत कंसलटेन्ट को संदर्भ

आवेदक को अपने आवेदन, जिसमें राज्य शासन से अपेक्षित सहायता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हो, का अप्रैजल आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कंसलटेन्टों या एम.पी. कॉन या मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र से कराना होगा। संबंधित कंसलटेन्ट से यह स्पष्ट अनुशंसा करानी होगी कि इकाई का पुनर्जीविकरण संभव है अथवा नहीं? कंसलटेन्ट से प्रतिवेदित योजना/प्रस्ताव आवेदक को अपने आवेदन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य सम्बंधित समस्याओं यथा बैंकों/वित्तीय संस्था आदि से प्राप्त किये जाने वाली सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख/सहमति दर्शायी गयी हो।

3.8.3 आवेदन शुल्क (Application fee) :- ₹ 1,000/- मात्र होगा।

3.8.4 अधिकार प्रदत्त समिति के सदस्यों के मध्य परिचालन (Circulation amongst the members of the Special Cell)

अधिकार प्रदत्त समिति का कार्यालय, अप्रेजल एजेंसी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा एवं निश्चित करेगा कि यह योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही है। तत्पश्चात इस समिति के सदस्यों के मध्य इसका परिचालन किया जाएगा।

3.8.5 संबंधित एजेंसियों के द्वारा स्वीकृतियां (Sanctions by the concerned agencies)

समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर संबंधित संस्थाएं रियायतों एवं सुविधाओं/परित्यागों पर अपनी सहमति 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान करेंगी। इस समय-सीमा में यदि वे अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें समिति को तदनुसार सूचित करना चाहिये एवं इस हेतु उन्हें राहतें एवं सुविधाएं नहीं देने के संबंध में सशक्त कारण देने होंगे।

अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय राज्य शासन के सभी विभागों पर बंधनकारी होगा फिर भी यदि कोई विभाग किसी निर्णय पर पुनर्विचार कराना चाहे तो उसे तदाशय का प्रस्ताव सीधे वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

3.8.6 म.प्र. लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना अंतर्गत स्वीकृति (Sanction under MPSSIRS)

उपरोक्त 30 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने पर अधिकारप्रदत्त समिति बैठक में इकाई के प्रकरण पर विचार कर पुनर्जीवन पैकेज के संबंध में अन्तिम निर्णय लेगी।

3.8.7 आदेश जारी करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण (Time frame for issuance of orders)

बीमार इकाई के पुनर्जीवन पैकेज से संबंधित राज्य शासन के विभाग एवं अन्य संस्थाएं बीमार इकाई को विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारप्रदत्त समिति के निर्णयानुसार राहतें स्वीकृत करेंगी। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इकाई को स्वीकृत राहतें/सुविधाओं संबंधी अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में स्वमेव स्वीकृति दी गई, ऐसा मान्य किया जाएगा।

3.8.8 वित्तीय परित्याग का परिमाण (Quantum of Financial Sacrifice)

पुनर्जीवन पैकेज का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि राज्य शासन/मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय परित्याग की राशि, वित्तीय संस्था/बैंक के द्वारा किये जाने वाले वित्तीय परित्याग से अधिक नहीं हो। यह शर्त उस इकाई के प्रकरण में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा

राज्य शासन को वर्तमान पैकेज में सहायता के लिये अनुरोध किये जाने के दिनांक तक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। वित्तीय परित्याग की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

- इकाई को किश्तों में एरियर भुगतान की सुविधा के लिये राज्य शासन द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज दर मान्य किया जाएगा। राज्य शासन साधारणतः एरियर्स की वसूली दाण्डिक ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर करती है अतः दोनों ब्याज दरों में अन्तर अर्थात् 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर राज्य शासन की ओर से वित्तीय त्याग माना जाएगा।
- मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राहत एवं छूट मुक्ति के रूप में होगी, उदाहरणस्वरूप विद्युत विच्छेद बिलों की अदायगी न करने के कारण अथवा एक तरफा अनुबंध के विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण नवीन सुरक्षा राशि जमा करने से एवं बन्द अवधि के न्यूनतम प्रभार से छूट रहेगी।
- ऐसे प्रकरणों में मुक्ति सुविधा के रूप में दी जा रही जमा सुरक्षा राशि/न्यूनतम प्रभार का कुल योग एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जिसकी गणना जमा राशि के भुगतान दिनांक से पुनर्जीवन पैकेज की समाप्ति के दिनांक तक होगी, को परित्याग की राशि माना जाएगा।

3.8.9 राहत देने हेतु शर्तें एवं निबंधन (Terms and Conditions for Grant of Relief)

- अ. अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली इकाई की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी, जो वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त होगी। पुनर्जीवन अवधि में इकाई को अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से लेखा परीक्षण कराना होगा। ऐसी इकाईयां जो इस योजनान्तर्गत राहत प्राप्त करेंगी, न तो डिवीडेण्ड घोषित करेंगी और न ही पुनर्जीवन पैकेज के कार्यकाल में प्रमोटर्स द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज ही देंगी।
- ब. इस योजनान्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रही औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियंत्रण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित मापदण्ड अनुसार प्रभावी कदम लेगी एवं इसका संचालन चालू हालत में बनाये रखेगी।
- स. औद्योगिक इकाई कम से कम योजनान्तर्गत दी गई पुनर्जीवन अवधि के समाप्त होने तक लगातार उत्पादनरत रहेगी।
- द. औद्योगिक इकाई राज्य शासन द्वारा एवं अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा समय-समय पर चाहे जाने पर अपने उत्पादन, रोजगार एवं अन्य जानकारी के विस्तृत विवरण उपलब्ध करायेगी।

4 औषधि एवं हर्बल उद्योग के लिए सहायता पैकेज

- 4.1 औषधि उद्योग में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन से गुड मेन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जी.एम.पी.) प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तकनीकी सेवाओं पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 4.2 औषधि एवं हर्बल उत्पादों के निर्माताओं को लायसेंसिंग एथारिटी एवं अन्य विभागों के कार्यों के त्वरित निराकरण हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी।
- 4.3 औषधि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 4.4 हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये इन उद्योगों के विकास की अच्छी सम्भावनाओं वाले क्षेत्र में एकीकृत एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से 'हर्बल पार्क' व 'डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर' विकसित किए जाएंगे।
- 4.5 औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ एवं मध्यप्रदेश ट्रेड एंड फेसिलिटेशन कार्पोरेशन के मध्य हस्ताक्षरित 'एम.ओ.यू.' के अधीन व्यवस्थाओं को निरंतर रखा जाएगा।
- 4.6 हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलों में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि। अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ' की तरह ब्याज अनुदान, निवेश पर अनुदान, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जावेगी।

5. बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए विशेष पैकेज

बायोटेक्नोलॉजी इकाईयों को अन्य औद्योगिक इकाईयों के समान वे समस्त अनुदान/सहायता सामान्य रूप में प्राप्त होंगी, जो उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना में उल्लेखित हैं। बायोटेक्नोलॉजी इकाईयों के अंतर्गत कौन-कौन से उत्पाद सम्मिलित होंगे, इसका निर्धारण राज्य शासन के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए, निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध होंगी :-

- 5.1 बायोटेक्नोलॉजी पार्क में बायोटेक्नोलॉजी इकाईयों के लिये अनुमति योग्य फ्लोर स्पेस इण्डेक्स दोगुना रहेगा।
- 5.2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क में कुल आवंटित क्षेत्र के न्यूनतम 60 प्रतिशत का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी ऑपरेशन्स के लिये एवं शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग सहायक प्रयोजन व सपोर्ट सेवाओं के लिये किया जा सकेगा।
- 5.3 इकाई द्वारा 500 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिये जाने पर, भूमि की प्रब्याजी में 50 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी।
- 5.4 बायोटेक्नोलॉजी पार्क में भू-खण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 वर्गफीट होने पर प्रथम 3 वर्ष के लिये लीजरेट में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
- 5.5 बायोटेक्नोलॉजी पार्क में उद्योगों को 20 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख होगी। ₹ 5.00 करोड़ से अधिक पूंजी वैष्ठन से स्थापित होने वाली इकाईयों को 15 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 150.00 लाख होगी।
- 5.6 बायोटेक्नोलॉजी पार्क में उद्योगों को किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था अथवा बैंक से टर्मलोन लेने पर पिछड़े 'स' श्रेणी के जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों की भांति ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- 5.7 बायोटेक्नोलॉजी इकाईयों को प्राथमिक अवस्था में शासन द्वारा वित्तीय सहयोग करने की दृष्टि से, निजी भागीदारी से, ₹ 100 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 5.8 ड्रग कंट्रोलर कार्यालय, डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा, आडिट किये जाने एवं बाद में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ड्रग कंट्रोल आडिट किये जाने पर, प्रमाणीकरण एवं आडिट पर हुये व्यय पर 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रुपये एक लाख दिया जायेगा।